



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032023-244690
CG-DL-E-25032023-244690

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]
No. 181]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

सा.का.नि. 223(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 14 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 187 (ई) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार, श्री विनोद कुमार, आईएएस, पूर्व प्रधान सचिव, यातायात विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के स्थान पर एतद्वारा यातायात विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, का प्रभार संभाल रहे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव को महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 (1)(ग)(i) के तहत, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के एक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम]

सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD DIVISION)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2023

G.S.R. 223(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) No.G.S.R.187(E) dated 14th March, 2023, the Central Government hereby appoints Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary holding the charge of Transport Department, Government of West Bengal, in place of Shri Binod Kumar, IAS, Former Principal Secretary, Transport Department, Government of West Bengal, as a representative of State Government on the Board of Syama Prasad Mookerjee Port Authority under Section 3(1)(c)(i) of Major Port Authorities Act, 2021 with immediate effect and until further orders.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour]

SUSHIL KUMAR SINGH, Jt. Secy.